बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—: संकल्प :—

संचिका संख्या—11 / आ0 नी0—III—01 / 2023 सा0प्र0 ..... पटना—15, दिनांक—.....

विषय :— बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम—1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) (यथा संशोधित) के क्रमांक—20 पर दर्ज कलवार एवं अन्य जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाने के संबंध में।

बिहार अधिनियम—12, 1993 के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा—9(1) निम्नवत है—

"आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किए गए अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा जैसा वह उचित समझे।"

बिहार अधिनियम—12, 1993 की धारा—9(2) के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की राय मानने के लिए समान्यतः राज्य—सरकार बाध्य होगी।

2. बिहार राज्य हेतु पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) के क्रमांक—20 पर बनिया जाति शीर्ष के अंतर्गत कलवार (कलाल / एराकी), (वियाहुत कलवार) एक साथ अंकित रहने के कारण इस जाति के सदस्यों की जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इस जाति के सदस्यों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा अंकित किया गया है कि सनातन धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में मात्र कलवार शब्द का उल्लेख है तथा इस जाति के साथ कलवार

(कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार) अंकित किया जाना अनुचित एवं भ्रामक है। सम्प्रति बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर बनिया जाति शीर्ष के अंतर्गत निम्नांकित प्रविष्टि अंकित है :–

बनिया–(सूढ़ी, मोदक/मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार (कलाल/एराकी), (वियाहुत कलवार), कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, (विलोपित) बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु), (विलोपित)।

3. अतएव उपर्युक्त के आलोक में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग से परामर्श प्राप्त किया गया। आयोग द्वारा दिया गया परामर्श निम्नवत है–

(i) यह कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में वर्णित बनिया जाति शीर्ष के अंतर्गत वर्णित कलवार के पश्चात कौमा (,) दर्ज किया जाना चाहिए।

(ii) यह कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में वर्णित बनिया जाति के शीर्ष के अंतर्गत कलाल और एराकी उपजाति के बीच आड़ी रेखा (/) (Slash) को हटाकर कौमा (,) दिया जाना चाहिए, क्योंकि कलाल और एराकी दो विभिन्न उपजाति है।

(iii) यह कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में ही उपजाति कलाल, एराकी के बाद वियाहुत कलवार में लगे कोष्ट को हटाकर उसके स्थान पर कौमा (,) दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त तीनों सुधार करने के पश्चात अनुसूची–2 का क्रमांक–20 को निम्न प्रकार पढ़ा जा सकेगा:–

क्रम संख्या	जाति	जाति
20	बनिया–(सूढ़ी, मोदक/मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल, एराकी, वियाहुत कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, (विलोपित), बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण हेतु), (विलोपित)	Bania (Sundi, Modak/Maira, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, kesarwani, Thathera, Kalwar, Kalal, Eraki, Biahut Kalwar, Kamalapuri Vaishya, Mahuri Vaishya, (Deleted), Bangi Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Vaishya poddar, Kasaudhan, Gandhbanik, Batham Vaishya, Goldar (For East/West Champaran), (Deleted)

4. बिहार अधिनियम–6, 1996 (मूल) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–1995 की धारा–14(अ) का प्रावधान निम्नवत है–

"अधिनियम की अनुसूची–1 एवं 2 में जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति :– पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची–1 अथवा अनुसूची–2 में किसी जाति/वर्ग को, यथास्थिति, जोड़ या हटा सकेगी।"

5. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की सलाह से सहमत होते हुए प्रस्ताव है कि बिहार राज्य हेतु पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर अंकित वर्तमान प्रविष्टि को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाय–

क्रम संख्या	जाति	जाति
20	बनिया–(सूढ़ी, मोदक / मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल, एराकी, वियाहुत कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहुरीवैश्य, (विलोपित), बंगीवैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरीवैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार (पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु), (विलोपित)	Bania (Sundi, Modak/Maira, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, kesarwani, Thathera, Kalwar, Kalal, Eraki, Biahut Kalwar, Kamalapuri Vaishya, Mahuri Vaishya, (Deleted), Bangi Vaishya (Bengali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Vaishya poddar, Kasaudhan, Gandhbanik, Batham Vaishya, Goldar (For East/West Champaran), (Deleted)

6. इस संकल्प में की गयी प्रविष्टि के अतिरिक्त किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश प्रभावी माने जायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–11 / आ0 नी0–III–01 / 2023 सा0प्र0 ..... पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0 नी0–III–01/2023 सा०प्र०.....18776.....पटना–15, दिनांक–.....04.10.25.....

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/ सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

04/10/25.

सरकार के संयुक्त सचिव।

PATH-C/Nitish TIPPNI